# अखिलेश कुमार सिंह

# बनाम

# झारखंड राज्य और अन्य।

# दिसम्बर 14, 2007

# [एस.बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, जे.जे.]

सेवा कानून - बर्खास्तगी - रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़, जालसाजी और कदाचार के कारण - सजा की मात्रा - को चुनौती दी गई, इस आधार पर कि सह-कर्मचारी को समान आरोपों के लिए हल्का दंड दिया गया - आयोजित: समान रूप से स्थित अपराधी अधिकारियों के खिलाफ समान आरोपों को इसी तरह से निपटाया जाना चाहिए - तथ्यों पर, कर्मचारियों के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रकृति में समान नहीं हैं - इस प्रकार, सजा की मात्रा के साथ हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है - न्यायिक समीक्षा।

अपीलकर्ता-लेखक कांस्टेबल पर रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने, जालसाजी करने और भोजन भत्ते का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। विभागीय कार्यवाही में अपीलकर्ता को दोषी पाया गया और उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अपीलकर्ता ने अपील दायर की। यह तर्क दिया गया था कि विभागीय कार्यवाही में एक केएस को भी समान आरोपों का दोषी पाया गया था और एक उदार दृष्टिकोण लिया गया था, अपीलकर्ता प्राधिकरण ने माना कि कर्मचारियों का मामला समान नहीं था।

दोनों रिट याचिका के साथ-साथ उसके खिलाफ अपील भी खारिज कर दी गई थी। इसलिए, वर्तमान अपील।

अपील को खारिज करते हुए न्यायालय

अभिनिर्धारित : 1.1 समान रूप से स्थित अपराधी अधिकारियों के साथ समान रूप से निपटा जाना चाहिए और इस प्रकार यदि कर्मचारियों के खिलाफ आरोप समान हैं, तो यह वांछनीय है कि उनके साथ समान रूप से निपटा जाए। तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दोषी कर्मचारी को दी जाने वाली सजा की मात्रा कई कारकों पर निर्भर करती है। दोषी अधिकारियों का आचरण और आरोपों की प्रकृति भी इस संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। [अनुच्छेद 11 और 121 [874-ए-बीआई

1.2. न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने वाले भारत के श्रेष्ठ न्यायालय



समीक्षा आमतौर पर एक सजा की मात्रा में हस्तक्षेप नहीं करेगी। [पैरा 13] [875-ए]

आनन्द क्षेत्रीय सहकारी तेल बीज उत्पादक यूनियन लिमिटेड बनाम शैलेशकुमार हर्षदभाई शाह, [2006] 6 एससीसी 548 और पुलिस महानिदेशक और अन्य। वी. जी. दसायन, [19981 2 एससीसी 407, प्रतिष्ठित।

2. इस मामले में, अपीलकर्ता को रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने और जालसाजी करने का दोषी पाया गया था। उन्होंने भोजन भत्ते का गबन किया। अपीलकर्ता के खिलाफ तय किया गया आरोप संख्या 1 एक गंभीर

आरोप था और उसे दोषी पाया गया था। केवल एक लेखक सी कांस्टेबल होने के नाते, वह कंपनी कमांडर के आगमन के समय के संबंध में सामान्य डायरी में प्रविष्टि नहीं कर सकता था। जहां तक आरोप सं 2 का संबंध है, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। उसके खिलाफ आरोप संख्या 3 साबित हुआ। अपीलीय प्राधिकारी के साथ-साथ उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने भी कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के थे। केएस को केवल अवैध रूप से खाद्य भत्ते का दावा करने के लिए दोषी पाया गया था । इस तथ्य के अलावा कि आरोप संख्या 1 बहुत गंभीर था और केएस पर आरोप नहीं लगाया गया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता और उक्त केएस समान रूप से स्थित थे, लेकिन जहां तक केएस का संबंध है, आरोप संख्या 2 भी आंशिक रूप से उसके खिलाफ साबित हुआ था; जबकि अपीलकर्ता ने उसके संबंध में अपना अपराध स्वीकार किया। अपीलकर्ता और केएस के खिलाफ आरोप प्रकृति में समान नहीं हैं, आक्षेपित निर्णय किसी भी कानूनी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है।

[पैरा 11, 12, 13 और 151 [873-जीएच; 874-ए-सी-एच; 875-ए-ईआई;

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2007 की सिविल अपील संख्या 5943।

2005 के एलपीए संख्या 113 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 6.12.2005 से।

अपीलकर्ता के लिए मोहन पांडे।

उत्तरदाताओं के लिए नीतीश मैसी और अजीत कुमार सिन्हा।

न्यायालय का निर्णय किसके द्वारा दिया गया था?

एस.बी. सिन्हा, जे. एल.

2. अपीलकर्ता बोकारो स्टील सिटी में बिहार सैन्य पुलिस में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत था। आरोपों के निम्नलिखित आरोप पर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी:

"(1) जब वह मार्च 1985 में कंपनी में तैनात थे, तब उन्होंने एसआई (एस) के परिवार के संबंध में सामान्य डायरी में एक प्रविष्टि की, आरबी साहू, कंपनी कमांडर 28.3.1985 को 1 डायरी खोलने से पूर्व ओहदेदार एवं अधिकारियों का विवरण भरा जा रहा है, उसमें कंपनी मुख्यालय में एसआई साहू की उपस्थिति दिखाई गई, लेकिन उसी दिन प्रविष्टि क्रमांक 700 के अनुसार उनका आगमन 8.45 बजे दिखाया गया। यह प्रविष्टि सी नंबर • 700 दो बार दर्ज की गई थी, पहली बार यह 8.45 थी और दूसरी बार यह 9.30 पर थी। 700 पर दर्ज Enw No. 8.45 निश्चित रूप से बाद में डाला गया है।

(2)उनके बयान के अनुसार जब वह अपनी कंपनी के साथ धनबाद में तैनात थे, तो वह कंपनी डी से बाहर थे मुख्यालय 14.12.84 से 16.12.84 तक और 9.1.85 से 12.01.85 तक। कंपनी कमांडर, श्री साहू के आदेश के बावजूद उन्होंने कंपनी मुख्यालय में अपनी उपस्थिति दिखाई और भोजन भत्ते के लिए दावा किया और इसे प्राप्त किया।

(3)'सी' कंपनी औरंगाबाद से उन्हें कमांड नंबर 227376 द्वारा कांस्टेबल 576 कौशल कुमार और वाहिनी मुखियालय के साथ निर्देशित किया गया था। 576 कौशल कुमार के साथ 24-3-84 को उनका प्रतिमान दिखाया गया, उनका प्रतिफल 26-3-85 को प्रात 900 बजे दिखाया गया है। उक्त अवधि के लिए भोजन भत्ते के वाउचर पर भुगतान किया गया था और प्राप्त किया गया था जो एक जालसाजी है।

उक्त विभागीय कार्यवाही में, उन्हें सभी आरोपों का दोषी पाया गया था। उन्होंने आरोप संख्या 2 के संबंध में आरोपों को स्वीकार किया। उन्हें अन्य आरोपों का भी दोषी पाया गया था। नियुक्ति प्राधिकारी ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए, उसे सेवा से बर्खास्त करते हुए 31.8.1987 को या उसके बारे में एक अंतिम आदेश पारित किया।

इसके विरुद्ध दायर की गई अपील को पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना ने खारिज कर दिया था। उक्त अपील में, एक तर्क

अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया था कि एक कौशल कुमार से जुड़ी एक विभागीय कार्यवाही में , जिसे समान आरोपों का दोषी पाया गया था, एक उदार दृष्टिकोण लिया गया था। अपीलीय प्राधिकारी ने इस संबंध में दिनांक 9.8.1989 के अपने आदेश में कहा:

> चार्जशीट कांस्टेबल द्वारा कांस्टेबल कौशल कुमार सिंह के खिलाफ बीएमपी-4 की अन्य विभागीय कार्यवाही संख्या 22/87 के संबंध में दिया गया चित्रण गलत है। कांस्टेबल कौशल कुमार सिंह ने उस समय के कमांडिंग

ऑफिसर के अवैध कृत्य के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास किया है। कंपनी कमांडिंग

पुलिस निरीक्षक रामभक्त साहू को भी सजा दी गई। इसलिए आरोप पत्र दाखिल कांस्टेबल और कांस्टेबल कौशल कुमार सिंह मामला समान नहीं है। "

5. अपीलकर्ता ने उक्त आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए एक याचिका उच्च न्यायालय में दायर की थी जिसे 1996 की सीडब्ल्यूजेसी संख्या 9945 के रूप में चिह्नित किया गया था।

उक्त न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा:

"तथ्य की बात के रूप में, बब्बन राम को अर्दली के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था

उप कमांडेंट का याचिकाकर्ता लेखक सिपाही था . जो आहार भत्ते के संबंध में रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए जिम्मेदार था और इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप प्रकृति में गंभीर थे और इस तरह, आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उसे सजा दी गई है। याचिकाकर्ता को अपने मामले का बचाव करने का पूरा अवसर प्रदान किया गया था और विभागीय जांच निष्पक्ष और उचित तरीके से आयोजित की गई थी।

मैंने संचालन अधिकारी की सिफारिश के साथ-साथ रिट आवेदन के अनुलग्नक-4 में निहित अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश और रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक-8 और 8/1 में निहित अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। मैंने पाया है कि विद्वान अनुशासनिक प्राधिकारी के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकारी ने रिकॉर्ड पर सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच की है और साक्ष्य की सराहना के बाद, वे रिकॉर्ड पर तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पूरी तरह से स्थापित थे और इसलिए, उसे दोषी पाया गया।

यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक अपीलीय

प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं कर सकता है और जांच अधिकारी द्वारा प्राप्त निष्कर्षों और न्यायिक प्राधिकारी के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश पर अपने स्वयं के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता यह दिखाने में सक्षम नहीं है कि उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए निष्कर्ष विकृत थे या रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर नहीं थे और इसलिए, मुझे को बदलने के लिए कोई सामग्री नहीं मिलती है।

उत्तरदाताओं द्वारा निष्कर्षों पर ध्यान दिया गया।

जहां तक सजा की मात्रा की बात है, मैं पाता हूं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए, बर्खास्तगी की सजा पारित की गई संबंधित प्राधिकारियों द्वारा किए गए हस्तक्षेप की भी आवश्यकता नहीं है

6. इसके विरुद्ध दायर की गई अंतर-न्यायालय अपील को उक्त न्यायालय की खंडपीठ द्वारा आक्षेपित न्यायनिर्णयन के कारण खारिज कर दिया गया है।

7 इस न्यायालय ने एक सीमित नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया है:

"वकील का कहना है कि उसी कदाचार के लिए एक अन्य कांस्टेबल को बहुत हल्की सजा दी गई थी, जबकि याचिकाकर्ता को बर्खास्तगी की सजा दी गई है।

विलंब के लिए क्षमा हेतु आवेदन पर तथा विशेष अनुमति याचिका पर भी नोटिस जारी करें। "

अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील श्री मोहन पांडे ने प्रस्तुत किया कि शी कौशल कुमार सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोप संख्या 1 को छोड़कर लगभग समान थे। विद्वान वकील के अनुसार, लेकिन जैसा कि उनके द्वारा किए गए कथित कदाचार के परिणामस्वरूप कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं हुआ, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को एक उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था।

हमारा ध्यान सजा के आदेश की ओर दिलाया गया है: अखिलेश कुमार उक्त श्री  कौशल कुमार सिंह पर जो निम्नलिखित प्रभाव से है

"बयान और रिकॉर्ड में मौजूद कारण बताओ के माध्यम से जाने और कमांडिंग ऑफिसर की राय को महसूस करने के बाद, मैं कमांडिंग अधिकारी की राय को स्वीकार करता हूं और उसे आरोप (एल) के संबंध में पूरी तरह से और आरोप (2) के संबंध में आंशिक रूप से दोषी पाया। उनकी 14.12.84 से 16.12.84 और 9.1.85 से 12.1.85 और 26.3.85 (पूरी तरह से आठ दिन) तक की अवैध अनुपस्थिति को असाधारण अवकाश माना जाएगा। इस अवधि के लिए उसे भुगतान की गई भत्ता राशि को उसकी देय राशि से काट लिया जाएगा और अगले दिन जमा किया जाएगा। क्योंकि उसने कंपनी कमांडर के खिलाफ तुरंत शिकायत की थी और उसे इस सहानुभूति सी के लिए दोषी पाया गया था  , इसलिए उसके वेतन में वृद्धि एक वर्ष के लिए रोक दी जाएगी। इस सजा से उसके भविष्य में वेतन वृद्धि प्रभावित नहीं होगी। इसके साथ ही भविष्य में बर्खास्तगी के लिए चेतावनी  दी जाती है।

9.वकील ने आग्रह किया कि कौशल कुमार सिंह को बहुत ही उदार सजा दी गई थी, इसलिए उच्च न्यायालय को रिट याचिका पर विचार नहीं करने में एक स्पष्ट त्रुटि करने के लिए माना जाना चाहिए। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक और अन्य पर भरोसा किया गया है। वी. जी. दसायन, [1998] 2' एससीसी 407 और आनंद क्षेत्रीय सहकारी तेल बीज उत्पादक यूनियन लिमिटेड बनाम शैलेशकुमार हर्षदभाई शाह। [2006] ई 6 एससीसी 548)।

10 दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री नीतीश मैसी ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता का मामला उपरोक्त शिया कौशल कुमार सिंह के समान नहीं है क्योंकि न केवल आरोप संख्या 1 जैसा कोई आरोप नहीं है। लेकिन यहां तक कि आरोप संख्या 2 भी विशेष रूप से उनके मामले में ही साबित हुआ। अपीलीय प्राधिकरण, यह प्रस्तुत किया गया था, कम शुद्धिकरण को कम न करने के लिए ठोस और पर्याप्त कारण दिए जाने के बाद, न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

11. मैंने अपीलकर्ता के खिलाफ एक गंभीर आरोप लगाया था। उसे इसके लिए दोषी पाया गया है। उन्होंने ओफिसियल अभिलेख के साथ छेड़छाड़ की रिकॉर्ड। केवल एक लेखक कांस्टेबल होने के नाते, वह कंपनी कमांडर के समय के संबंध में सामान्य डायरी में एक दर्ज नहीं बना सकता था।

जहां तक आरोप सं 2 का संबंध है, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। आरोप संख्या 3

उनके खिलाफ साबित हो गया था। अपीलीय प्राधिकारी के साथ-साथ एक एकल न्यायाधीश ने भी, जैसा कि पहले देखा गया है, ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के थे।

यह सच है कि समान रूप से तैनात अपराधी अधिकारियों के साथ भी इसी तरह से निपटा जाना चाहिए और इस प्रकार यदि कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप समान हैं, तो यह वांछनीय है कि उनके साथ समान रूप से निपटा जाए।

12. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक अपराधी कर्मचारी पर लगाए गए दंड की मात्रा, हालांकि, कई कारकों पर निर्भर करती है। दोषी अधिकारियों का आचरण और आरोपों की प्रकृति भी इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तथ्य के अलावा कि आरोप सं 1 एक बहुत ही गंभीर था और श्री कौशल कुमार सिंह, जिस पर आरोप नहीं लगाया गया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता और उक्त कौशल कुमार सिंह समान रूप से स्थित थे, लेकिन जैसा कि यहां पहले देखा गया है, जहां तक कौशल कुमार सिंह का संबंध है, आरोप संख्या 2 भी उनके खिलाफ आंशिक रूप से साबित हो गया था; जबकि अपीलकर्ता ने उसके संबंध में अपना अपराध स्वीकार किया।

जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा:

उन्होंने कहा, 'इसके साथ ही मैंने उपस्थिति रजिस्टर और खाद्य भत्ता रजिस्टर भी देखा है और कंपनी के किसी भी अधिकारी ने न तो हस्ताक्षर किए हैं और न ही इसका सत्यापन किया है. यह भी भयावह है कि ई अटेंडेंस रजिस्टर और फूड अलाउंस रजिस्टर को किस आधार पर सही माना गया। यह आवश्यक है कि जब भी भोजन भत्ते का दावा किया

जा रहा हो तो उसे उस रजिस्टर से सत्यापित किया जाना चाहिए जो नहीं मिला है। कंपनी कमांडर ने बयान दिया कि चार्जशीट के बारे में प्रविष्टि कि वह कंपनी में 14-12-84 से 16-12-84 और 9-1-85 से 12-1-85 को उपस्थित था, कांस्टेबल बीरेंद्र कुमार की मदद से रजिस्टर पर आरोप पत्रित किया गया था। उस अवधि के दौरान आरोप-पत्रित कहीं नहीं गया था और उसने अपने वक्तव्य में कहा था कि उसी दिन वह कंपनी कमांडर के मौखिक आदेश पर बाहर था। यह निर्णय करना बहुत कठिन है कि किसके कथन को सही माना जाना चाहिए वह आरोप-पत्र का है या कमांडर का। कंपनी कंमेंडर कंपनी का प्रभारी है। इसलिए उनके बयान को तवज्जो दी जानी चाहिए ४। चार्जशीट ने निश्चित रूप से कंपनी कमांडर के साथ जालसाजी की क्योंकि उस पर विश्वास करते हुए उसने हस्ताक्षर किए।

13. इस प्रकार, अपीलकर्ता को रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ और जालसाजी का दोषी पाया गया है, उन्होंने भोजन भत्ते का गबन किया। श्री कौशल ए कुमार सिंह को केवल अवैध रूप से भोजन भत्ता का दावा करने के लिए दोषी पाया गया था। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने वाले भारत के उच्चतर न्यायालय, आमतौर पर सजा की मात्रा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यहां तक कि औद्योगिक न्यायालय भी ऐसा नहीं करेगा जैसा कि इस न्यायालय ने शैलेशकुमार (सुप्रा) में देखा है। उक्त मामले में, हालांकि, बी तथ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह आयोजित किया गया था:

> पीठ ने कहा, "हालांकि इस मामले का एक और पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सात लोगों के खिलाफ भी ऐसे ही आरोप लगाए गए थे। प्रबंधन ने छह अन्य लोगों द्वारा किए गए कदाचार को गंभीरता से नहीं लिया, हालांकि वे समान

रूप से स्थित थे। उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ लेने की अनुमति दी गई थी।

उक्त निर्णय अपीलकर्ता की बिल्कुल भी सहायता नहीं करता है।

14 जी. दयासन (सुप्रा) एक ऐसा मामला है जहां प्रतिवादी के साथ-साथ हेड कांस्टेबल पर भी एक साथ मुकदमा चलाया गया था, लेकिन चूंकि उन पर अलग-अलग दंड लगाए गए थे, हालांकि उन पर समान आरोपों का सामना करना पड़ा, इस अदालत ने सजा की मात्रा में हस्तक्षेप किया।

15. यहां ऐसा नहीं है। अपीलकर्ता और श्री कौशल कुमार सिंह के खिलाफ आरोप प्रकृति में समान नहीं हैं, आक्षेपित निर्णय किसी भी कानूनी जटिलता से ग्रस्त नहीं है।

तदनुसार अपील खारिज कर दी जाती है लेकिन लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

एन.जे. अपील खारिज कर दी गई।

**<u>यह अनुवाद शिव बचन यादव, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।</u>**